भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4804

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात

†4804. कु. सुधा आर.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात क्या है;
(ख) सरकारी मेडिकल कॉलेजों, निजी मेडिकल कॉलेजों और सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों जैसे एम्स, ईएसआई, सैन्य और मानद विश्वविद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है और उनमें छात्रों की संख्या कितनी है;
(ग) मानद विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, एम्स, ईएसआई और सैन्य संचालित कॉलेजों के अलावा सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;
(घ) क्या तमिलनाडु राज्य में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर रोक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्रीय निधि का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या तमिलनाडु में छह नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने में कोई देरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 13,86,150 पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सक हैं। आयुष मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रणालियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक मौजूद हैं, देश में चिकित्सक-जनसंख्या का अनुपात 1:811 होने का अनुमान है।
वर्ष 2024-25 तक, 431 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 349 निजी मेडिकल कॉलेज सहित 780 मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा, 74,306 स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें उपलब्ध हैं।

(घ): जी नहीं, नये मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति एनएमसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैयार किये गये विनियमों के अध्यधीन है ।

(ङ) और (च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का प्रचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण पद्धति पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, तमिलनाडु के 11 मेडिकल कॉलेजों सहित तीन चरणों में सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार का पूरा हिस्सा तमिलनाडु राज्य सरकार को जारी कर दिया गया है और सभी ग्यारह मेडिकल कॉलेज कार्यशील हो गए हैं।

*****